No. 6-2/2010-STG.II
Government of India
Ministry of Communications & Information Technology
Department of Telecommunications
419, Sanchar Bhavan, 20-Ashoka Road, New Delhi – 110 001

Dated the 17th June, 2014.

Office Memorandum

Subject : Obtaining the service bond from the Junior Telecom Officers of the Department of Telecommunications – regarding.

In continuation of this Office's OM of even number dated 03.04.2014 & 08.05.2014 on the above mentioned subject, the following Junior Telecom Officers of the Department (direct recruitment – JTO 2011 Batch) are requested to execute the service bond w.e.f. 29.07.2013 by correcting the year as 2013 in place of 2014 mentioned in the bond format attached with the above said OMs :-

Sl. No.	Name of the Officer	Present Posting
1	Shri Chittaranjan Debata	TERM Cell, Andhra Pradesh, Vijayawada
2	Shri Anjaneya Gupta	Under Sr. DDG (TERM), DoT Hqrs., New Delhi
3	Shri Amit Arora	DDG (SU), DoT Hqrs., New Delhi
4	Shri Ankit Garg	TEC, New Delhi
5	Sh.Yogendra Singh Baghel	Under Sr. DDG (TERM), DoT, New Delhi
6	Shri Rashmi Rathi Tiwari	TEC, New Delhi
7	Shri Manish Tripathi	Under DDG (CS), DoT Hqrs., New Delhi
8	Shri Amit Kumar Goyal	TERM Cell, Rajasthan, Jaipur
9	Shri Ziaur Rahman	TERM Cell, New Delhi
10	Shri Harendra	Under DDG (DS), DoT Hqrs., New Delhi
11	Shri Punit Kumar	Under DDG (AS), DoT Hqrs., New Delhi
12	Shri Md. Absarul Haque	TERM Cell, Bihar, Patna
13	Shri Lalit Kumar Verma	TERM Cell, Chhattisgarh, Raipur.
14	Ms. Ritu Chauhan	Under DDG (Economic Adviser), DoT, New Delhi
15	Shri Devendra Kumar	TERM Cell, UP(W), Meerut
16	Shri Divya Kumar Singh	TERM Cell, New Delhi
17	Shri Ganesh Naik L.G.	TERM Cell, Karnataka, Bangalore
18	Shri Vivek Krishna Verma	NTIPRIT, Ghaziabad
19	Shri Pukhraj Meena	TERM Cell, J&K, Jammu
20	Shri Yogesh Goyal (PH)	TERM Cell, UP (E), Lucknow

2. The above mentioned JTOs are also requested to submit the service bond duly filled in, by **18.07.2014**.

3. It is also clarified that –

a). The Junior Telecom Officer Recruitment Rules-1999 and Assistant Director (AD-TES Group 'B' Cadre) Recruitment Rules-1996 are being placed on the web-site of DoT for easy access by the above mentioned JTOs.

b). Once the bond is executed w.e.f. 29.07.2013, some ambiguousness noticed in the bond format due to mentioning of year 2014 therein may automatically be cleared.

Contd....2/-

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 1996/श्रावण 1, 1918
No. 229] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 1996/SRAVANA 1, 1918

दूरसंचार विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1996

सा.का.नि. 328(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तार इंजीनियरी सेवा (समूह ''ख'' पद) भर्ती नियम 1981 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया है, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार इंजीनियरी सेवा समूह ''ख'' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार इंजीनियरी सेवा (समूह ''ख'' पद) भर्ती नियम, 1996 है।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

4. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

[illegible] लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
उप मंडलीय इंजीनियर	*15000 (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	दूरसंचार इंजीनियरी सेवा समूह ''ख'' राजपत्रित	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और आवश्यक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति : ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता के आधार पर 75% विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 25%

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
प्रोन्नति : (i) 75% कोटा के अधीन : ऐसे कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। (ii) 25% कोटा के अधीन : ऐसी विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिसके लिए ऐसे कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पणी: 1. कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक केवल मुख्यालय में अखिल भारतीय पात्रता सूची के आधार पर होगी। 2. पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख उस वर्ष की पहली जुलाई होगी जिसमें रिक्तियां संबंधित है। 3. विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और नियम वे होंगे जो दूरसंचार आयोग समय समय पर विहित करें। 4. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि यदि विहित हो सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति: (1) सलाहकार दूरसंचार आयोग—अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक (कार्मिक)—सदस्य (3) निदेशक (कर्मचारिवृन्द दू.सं.)—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. 2-40/94-एस टी जी-II]

जी.डी. गेहा, उप महानिदेशक (कार्मिक)

पदेन संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 1996

G.S.R. 328(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Telegraph Engineering Service (Group "B" posts) Recruitment Rules, 1981, *except* as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the Telecommunications Engineering Service, Group "B" in the Department of Telecommunications, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Telecommunications Engineering Service (Group "B" posts) Recruitment Rules, 1996.

2. Application :—These rules shall apply to the recruitment to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

4. Number of the post, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification, and the scale of pay shall be as specified in column (2) to (4) of the said schedule.

5. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid schedule.

6. Disqualifications :—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax** :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Savings** :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Caste, the Schedule Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay Rs.	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years service admissible	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and essential qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sub Divisional Engineer	15000* (1996) *Subject to variation dependent on workload.	Telecom. Engineering Service Group "B" Gazetted.	2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and of percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitments
10	11	12	13	14
2 years	Promotion : (i) 75% on the basis of seniority-cum-fitness. (ii) 25% on the basis of a departmental competitive examination.	Promotion : (i) under 75% quota Junior Telecom. Officer with 3 years regular service in the grade. (ii) under 25% quota On the basis of departmental competitive examination for which Junior Telecom. Officers with 3 years regular service in the grade shall be eligible. Note : 1. Departmental Promotion Committee Officers shall be held on the basis of an All India eligibility list at Head Quarter only. 2. The crucial date for determining the eligibility shall be first of July of year to which the vacancies pertains. 3. The Syllabus & Rules for conducting departmental competitive examination shall be such as the Telecom. Commission may prescribe from time to time. 4. Where junior who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite	Group "B" Departmental Promotion Committee : 1. Adviser, Telecom. Commission—Chairman 2. Deputy Director General (Pers.)—Member 3. Director (Staff Telecom.)—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

10	11	12	13	14
		qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.		

[No. 2-40/94-STG-II]

G. D. GAIHA, Dy. Director General (Personnel)
Ex-officio Jt. Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 1999/भाद्र 10, 1921

No. 438] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 1999/BHADRA 10, 1921

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1999

सा.का.नि. 620 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी भर्ती नियम, 1996 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, दूर संचार विभाग में कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी भर्ती नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची I के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

[redacted] : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची I के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं

4. निरहर्ता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. बंधपत्र, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम :

(1) सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों पर भर्ती किए गए सभी अभ्यर्थी कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी के पद पर नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने के लिए इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में एक बंधपत्र निष्पादित करेंगे ।

(2) उन अभ्यर्थियों को, जो सीधी भर्ती कोटा और विभागीय प्रोन्नति कोटा दोनों ही में चयनित कर लिए गए हैं, विभाग द्वारा अधिकथित प्रशिक्षण योजना के अनुसार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

6. प्रादेशिक सेना के अधीन सेवा — ऐसा कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी, जिसने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, यदि अपेक्षित हो तो, प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56) की धारा 6क के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रादेशिक सेना में सेवा करने के दायित्वाधीन होगा ।

7. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची - I

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन अथवा चयन-सह-ज्येष्ठता या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी	19716* (1999) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	6500-200-10500 रू.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
निम्नलिखित किसी विषय में बैचलर ऑफ इंजीनियरी/बैचलर ऑफ टेक्नोलाजी या समतुल्य, अर्थात (i) दूर संचार इंजीनियरी ; या (ii) इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी ; या (iii) रेडियो इंजीनियरी ; या (iv) कम्पयूटर इंजीनियरी ; या (v) विद्युत इंजीनियरी ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

टिप्पण 1.– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2.– अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
11	12
(i) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत ; (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत ।	<u>प्रोन्नति द्वारा</u> :- स्तंभ 11 की मद (ii) में निर्दिष्ट विभागीय अभ्यर्थियों की 50% प्रोन्नति, निम्नलिखित रूप में विनियमित होगी :- I इंजीनियरी खंड के निम्नलिखित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो परीक्षा की तारीख को 50 वर्ष से कम आयु के हैं, सीमिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 35 प्रतिशत, अर्थात् :- (i) फोन निरीक्षक (पी.आई.) (ii) ऑटो एक्सचेंज सहायक (ए.ई.ए.) (iii) बेतार प्रचालक (डब्लू.ओ.) (iv) परेषण सहायक (टी.ए.) (v) दूर संचार तकनीकी सहायक (टी.टी.ए.) (vi) ज्येष्ठ दूर संचार कार्यालय सहायक, और जिनके पास निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं और अनुभव हैं :- (i) दूर संचार, इलेक्ट्रानिक/कंप्यूटर इंजीनियरी/रेडियो/विद्युत इंजीनियरी में बैचलर ऑफ इंजीनियरी या समतुल्य ; या (ii) भौतिकी या रसायन शास्त्र के साथ बैचलर ऑफ साइंस ; या (iii) इलेक्ट्रानिकी/रेडियो/कंप्यूटर इंजीनियरी/उपकरण प्रौद्योगिकी/दूर संचार में तीन वर्षीय डिप्लोमा, और (iv) समूह 'ग' पदों पर 10 वर्ष की नियमित सेवा ।

ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 15% प्रोन्नति द्वारा

(i जो मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, दूरसंचार सर्किल/ जिले सहित दूर संचार इंजीनियरी शाखा में कार्यरत हैं किंतु इसमें नलसाज/ स्वच्छता निरीक्षक / सफाई निरीक्षक सम्मिलित नहीं है ।

(i जो औद्योगिक स्थापनों में भर्ती कर्मचारियों को छोड़ कर दूर संचार कारखानों में कार्यरत हैं ।

(i) जो नियमित स्थापन में भर्ती किए गए हैं और दूर संचार सर्किल के अधीन लेखा खंड में लेखा लिपिक के रूप में कार्यरत हैं ।

(i) जो नियमित स्थापन में भर्ती किए गए हैं और दूर संचार सर्किल के अधीन सिविल विंग में संकर्म लिपिक श्रेणी I और II, संकर्म सहायक , नक्शानवीस, कनिष्ठ वास्तुविद और बिजली मिस्त्री के रूप में कार्यरत है ; और

र जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं :-

(i किसी मान्यताप्राप्त संस्था/ बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+ 2) या समतुल्य ;

(i इलेक्ट्रानिकी/रेडियो/कंप्यूटर इंजीनियरी/उपकरण इंजीनियरी/दूर संचार में तीन वर्षीय डिप्लोमा, और

(i) समूह 'ग' पद पर 10 वर्ष का अनुभव ।

टि ण :- 35 % सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोटा के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा देने के पात्र कर्मचारी, 15% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोटा के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा देने के पात्र कर्मचारी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. मुख्य महाप्रबंधक — अध्यक्ष 2. महाप्रबंधक — सदस्य 3. उप महाप्रबंधक / निदेशक — सदस्य टिप्पण : सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	इन नियमों के किन्हीं उपबंधो को संशोधित करते या शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

अनुसूची

कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किए जानेवाले अभ्यर्थियों के लिए करार का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री/ श्रीमती/ कुमारी.. जिसे इसमें इसके पश्चात् ....(काडर) प्रशिक्षार्थी (अवयस्क की दशा में अपने अभिभावक श्री.................................. के माध्यम से कार्य करते हुए) दूसरे पक्षकार के रूप में श्री.. (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रतिभू" कहा गया है) और तीसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख..............................को किया गया।

अभ्यर्थी (प्रशिक्षार्थी) डाक और तार विभाग के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए और इसको सफलतापूर्वक पूरा करने पर उस विभाग में..............................के रूप में निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर नियोजन स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है/ गयी है।

और इस करार की शर्तों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षार्थी श्री/ श्रीमती/ कुमारी...द्वारा या प्रशिक्षार्थी की ओर से उसके/ उसकी..................................द्वारा..................................रूपए की राशि (.........................देखें) जमाकर दी गई है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है और इसके द्वारा यह करार किया जाता है कि —

1. सरकार इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करेगी जिसकी प्रकृति और अवधि डाक और तार के महानिदेशक (जिसे इसमें इसके पश्चात् महानिदेशक कहा गया है) द्वारा अवधारित की जाएगी जिसका विनिश्चय इस निमित्त अंतिम और आबद्धकर होगा।

परंतु यह कि महानिदेशक किसी भी प्रक्रम पर बिना कोई कारण बताए, उसका प्रशिक्षण बंद कर सकेगा, यदि उसकी राय में (जो अंतिम और आबद्धकर होगी) उसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशिक्षार्थी एक दक्ष ....(काडर) नहीं बन सकेगा।

2. उक्त प्रशिक्षार्थी :--

(क) महानिदेशक द्वारा तत्काल चयनित डाक और तार के किन्हीं भी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(ख) उक्त स्थानों पर सम्यक् तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उक्त स्थानों पर प्रशिक्षण तथा अनुशासन की बाबत सभी प्राधिकृत अधिकारियों के सभी अनुदेशों का पालन करेगा।

(ग) प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात् या किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर जब नियोजन की प्रस्थापना की जाए तो डाक और तार विभाग में ....(काडर) के रूप में............ वर्ष के लिए नियोजन स्वीकार करेगा।

(i) यदि उक्त प्रशिक्षार्थी का प्रशिक्षण उपरोक्त खंड (1) के उपबंधों के अधीन जारी नहीं रहता है और महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि प्रशिक्षार्थी द्वारा आवश्यक मानक प्राप्त करने में असफलता का कारण उसकी लापरवाही है या अपने काम में मन लगाने में असफल होना है तो सरकार को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्रतिभूति निक्षेप की राशि को समपहृत करने का आदेश दे तथा प्रतिभू-पृथकतः और संयुक्त रूप से और उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि, प्रशिक्षण के दौरान उसको वृत्तिका के रूप में संदत्त सभी राशियां तथा विभाग द्वारा उसके प्रशिक्षण पर उपगत व्यय सरकार की मांग किए जाने पर संदत्त और प्रतिसंदत्त करेगा जो इस मामले में क्रमशः .... रु० प्रतिमास ....प्रतिमास है।

(ii) यदि प्रशिक्षार्थी अपना करार या ऊपर खंड (2) में अंतर्विष्ट प्रसंविदा का भंग करता है या यदि उसके आचरण के विरूद्ध देश की सरकार के विरूद्ध राजनैतिक क्रिया-कलाप की बाबत निरंतर प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है या यदि प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण के दौरान अपनी संविदा से परे किसी कारणवश स्वेच्छया प्रशिक्षण छोड़ देता है अथवा उसके पूरा होने के बाद उपरोक्त खंड (2)(ग) के अनुसरण में नियोजन स्वीकार नहीं करता है या इस प्रकार स्वीकार करने पर भी डाक और तार विभाग की पांच वर्ष तक सेवा नहीं करता है अथवा ऐसी अवधि में अपनी ड्यूटी सम्यक् तत्परतापूर्वक नहीं करता या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अनुदेशों का पालन नहीं करता (जिसके संबंध में महानिदेशक का विनिश्चय अंतिम होगा) तो इनमें से किसी मामले में सरकार को प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण का पूर्ण अधिकार होगा और प्रशिक्षार्थी तथा प्रतिभू संयुक्ततः और पृथक रूप से तथा उसके वारिस निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि, प्रशिक्षण के दौरान उसको वृत्तिका के रूप में संदत्त सभी राशियों के साथ विभाग द्वारा उसके प्रशिक्षण पर उपगत व्यय, सरकार को मांग किए जाने पर संदत्त तथा प्रतिसंदत्त करेगा ।

4. परंतु यह कि इसके अधीन प्रतिभू के दायित्व पर, उक्त धन की वसूली की बाबत उसको दिए गए समय या उसे दर्शित किसी अनुग्रह के कारण, प्रभाव नहीं पड़ेगा या इसके अधीन देय राशि के लिए प्रतिभू पर वाद लाने के पूर्व प्रशिक्षार्थी / पिता / अभिभावक पर वाद चलाना सरकार के लिए आवश्यक होगा ।

5. इस करार पर लगने वाले स्टांप शुल्क का वहन सरकार करेगी ।

इसके साक्ष्यस्वरूप आज तारीख .... को प्रशिक्षार्थी और प्रतिभू ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और भारत के राष्ट्रपति की ओर से .... ने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

ऊपर बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले का पूरा नाम ____________________
(प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर)

अवयस्क की दशा में उसके अभिभावक के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर ____________________
पूरा नाम ____________________
और पता ____________________

साक्षी : ____________________
हस्ताक्षर ____________________
पूरा नाम ____________________
और पता ____________________

प्रतिभू
पूर्ण हस्ताक्षर ____________________
(प्रतिभू)
पूरा नाम ____________________
और पता ____________________

साक्षी :
(1) ____________________
(2) ____________________

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित साक्षियो की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए ।

टिप्पण : प्रतिभू को स्थायी/केन्द्रीय/राज्य सरकार का कर्मचारी होना चाहिए और प्रतिभू के नियोजक द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जाना चाहिए ।

[सं. 5-6/97-एन.सी.जी.]

जे. बी. जैन, सहायक महानिदेशक (एस.टी.सी.)

2601GI/99-2

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 1999

G.S.R. 620 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Junior Telecom Officer Recruitment Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Telecom Officer in the Department of Tele-communications, namely:-

1. **Short title and commencement** .- (1) These rules may be called the Junior Telecom Officer Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay** .- The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Schedule-I annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule-I.

4. **Disqualification** .- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse livi[illegible] [illegible]ed into or [illegible]rriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Bond, training and Syllabus .-

(1) All candidates recruited against the vacancies for direct recruits shall execute a Bond in the format as specified in Schedule-II annexed to these rules to serv for a period of five years from the date of their appointment as Junior Telecom Officer.

(2) The candidates selected both against the direct recruitment quota of vacancies and departmental promotion quota of vacancies shall have to successfully undergo training as per the training plan laid down by the Department.

6. **Service under the Territorial Army.**- A Junior Telecom Officer who has not completed the age of forty years shall if so required, be liable to serve in the Territorial Army subject to the provisions of section 6 A of the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948) and the rules made thereunder.

7. **Power to relax .-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

contd/-

SCHEDULE-I

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay.	Whether selection by merit or selection-cum seniority or non-selection post.	Age limit for direct recruits
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Junior Telecom Officer	19716 * (1999) * subject to variation dependent on workload	General Central Service Group B Gazetted Non-Ministerial	Rs.6500-200-10500.	Not Applicable	Not exceeding 30 years. Note-1 Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-2 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Di-

Whether benefit of added years of service is admissible	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
7.	8	9	10
Not Applicable	Bachelor of Engineering/ Bachelor of Technology or equivalent in any of the following disciplines, namely:- (i) Telecommunications Engineering; or (ii) Electronics Engineering;or (iii) Radio Engineering;or (iv) Computer Engineering or (V) Electrical Engineering. Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies approved by them.	No	2 years for Direct Recruits.

Method of recruitment -- whether by direct recruitment or by promoti n or by deputation/absorp..on and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation /absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
11.	12
(i) 50 per cent. by direct recruitment.	By Promotion: 50% by promotion of departmental candidates referred to in item (ii) in column 11 will be regulated as follows:-
(ii) 50 per cent. promotion through Limited Departmental Competitive Examination.	I. 35 per cent by promotion through Limited Departmental competitive examination from amongst following Group 'C' employees, below 50 years of age as on the date of such examination, of the Engineering Wing, namely:- (i) Phone Inspectors(PIs) (ii) Auto Exchange Assistants(AEAs) (iii)Wireless Operators (WOs) (iv) Transmission Assistants (TAs) (v) Telecom Technical Assistants (TTAs) (vi) Sr Telecom Office Assistants and possessing the following essential qualifications and experience:- (i) Bachelor of Engineering in Telecom/Electronics/Computer Engineering/Radio Engg/Electrical Engg. or equivalent OR (ii) Bachelor of Science with Physics and Chemistry OR (iii)3 years' Diploma in Electronics/Radio/Computer Engg./Instrument Technology/Telecom., and

Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation /absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
11.	12
	II.15% by promotion through Limited Departmental Competitive examination from amongst Group 'C' employees.–

(i) working in Telecom Engineering Branch including Office of the Chief General Manager; Telecom Circles/Districts other than Plumbers/Sanitory Inspectors/Conservancy Inspectors;

(ii) working in Telecommunication Factory, other than those borne on Industrial Establishments.

(iii) Borne on the regular establishment and working as Accounts Clerks in the accounts Wing under the Telecommunications Circles.

(iv) Borne on the regular establishment and working as Works Clerks Grade I and II. Work Assistants, Draftsman, Junior Architects and Electricians in the Civil Wing under Telecom Circles, and

possessing the following educational qualifications, namely;–

(i) Higher Secondary (10+2) or equivalent from a recognised Institution/Board;

(ii) 3 years' Diploma in Electronics/Radio/Computer Engineering/Instrumental Engineering/Telecom, and

(iii) 10 years' service in posts in Group 'C'

Note

The employees eligible to take up competitive examination under 35% Limited Departmental Competitive Examination quota shall not be eligible for appearing at the Competitive examination under 15% Limited Departmental Competitive Examination quota.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of : 1. Chief General Manager – Chairman 2. General Manager – Member 3. Deputy General Manager/Director – Member "Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held."	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while amending or relaxing any of the provisions of these rules.

Schedule II

FORM OF AGREEMENT OF CANDIDATES TO BE TRAINED AS JUNIOR TELECOM OFFICERS

This agreement between Sh./Smt./Kr.____________________ herein after referred to as the ______________(cadre) trainee, (in the case of minor acting through his guardian Sh.______________________) the first part, Sh.__________________ (Herein-after) referred to as the Surety) of the second part and the President of India (herein-after referred to as the Govt.) of the third part.

Whereas the candidate (trainee) has agreed to undergo training in the posts & Telegraphs Department and on the successful completion of the same to accept employment as ________________________ in that department, on the terms & conditions herein-after appearing.

And whereas the sum of Rs._____________ has been deposited by the trainee Sh./Smt./Kr._______________________________ vide ___________________________ on behalf of the trainee by his/her guardian as security for the due fulfilment of the conditions of the agreement.

Now these presents witness and it is hereby agreed as follows:-

1. The Government shall provide training, the nature and duration of which shall be determined by the Director - General of Post & Telegraph (here-in-after referred to as the Director General) whose decision in this behalf shall be final and binding.

Provide that the Director General may at any stage with-out assigning any reason discontinue his training, if in his opinion (which shall be final and binding) the trainee ap-pears to be unlikely to become an efficient __________________(cadre).

2. The said trainee shall:-

(A) undergo the course of training at any Posts & Tele-graphs training centre, selected from time to time, by the Director General.

(B) Undergo under such training at the said places with due diligence and comply with the instructions of all authorised officers in regard to training and discipline at the said places.

(C) After completion of training or at a later stage when an employment offer is made, accept employment as __________________________(cadre) the Post & Telegraphs Department for a period of five years.

(i) In case the training of the said trainee is discon-tinued under the provision to clause (1) above and the

Director General is satisfied that the failure of the trainee's to reach the necessary/standard is due to his negligence or failure to apply himself/herself earnestly to his/her (the decision of the Director General in this behalf be final), Government shall have full powers to order forfeit of the amount of security deposit and the surety Jointly severally and their respective heirs, executors, administrators and legal representatives shall pay & refund to Government on demand all amounts paid to him as stip during the period of his training together with train expenses incurred on him/her by the department, which in t case shall be Rs.______________p.m. and Rs.______________p respectively.

(ii) If the trainee commits any breach of his agreem and congonents contained in clause (2) above, or in case continued adverse reports regarding his conduct or his poli ical activities directed against the Government of his cou try, or if the trainee voluntarily quits for reasons beyond his contract at any time during the course of trai ing, or on completion thereof does not accept employme pursuant to clause (2) (C) above or on such acceptance do not serve the Posts & Telegraphs Department for period up five years or during such period of service does not car out his/her duties with diligence or fails to comply with t instructions of his superior officers as to which has t decision of the Director General shall be final) when in a of such cases Government shall have full powers to ord forfeiture of Security Deposit and the trainee and the sure jointly and severally and their respective heirs, executors administrators and legal representatives shall pay and refu to the Government on demand entire amounts expended him/her in respect of his training as also the amounts pa as stipend.

4. Provided that the liability of the surety hereunder sha not in any manner be affected by any time which may be grant ed to the trainee or any other indulgence which may be shown to him in respect of the recovery of the said monies by th Government or shall it be necessary for the Government to su the trainee/father/guardian before suing the amounts due here-under.

5. The stamp duty on this agreement shall be borne by Gov ernment.

In witness whereof, the trainee and the surety have her unto set their respective hands and the President has her unto caused ______________ on his behalf to set his hand this the ______________ day of ______________.

Full name signed by above bounded

____

(Sig. of the trainee)

In case of minor, signed by his/her guardian.

Signature: ______________________

Full Name: & Address: ______________________

Witness:-

____
(Signature)

Full Name: ______________________
&
Address: ______________________

Surety:-

Full Signed by ______________________
(Sig. of the surety).

Full name: & ______________________

Address: ______________________

In the presence of (witness) ______________________

____

(Signed by for and on behalf of the President of India in the presence of Witness).

Note:-Sureties should be permenant/central/state Govt. employees and a certificate to this effect issued by the Employer of the Sureties should also be attached.

J. B. JAIN, Asstt. Director General (STC)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.